II/निग0/सतना/2018/01356

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट)

रीवा म0प्र0

रामखेलावन सिंह तनय रघुवर शरण सिंह उम्र 58 वर्ष पेशा खेती

निवासी ग्राम ऐरा तह0 अमरपाटन जिला- सतना म0प्र0

---------------- आवेदक

// बनाम //

रामविलाश सिंह तनय नकछेदी सिंह उम्र करीब 45 वर्ष पेशा

खेती निवासी ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

---------------- अनावेदक

प्राप्त0 श्री महेन्द्र सिंह
सा0 वेला 23-2-18

(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध सीमांकन आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 दिनांक 20/06/2017 जो सीमांकन प्रकरण क्र0-53/अ12/2016-17 में पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन की पुष्टि की गई।

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता- 1959 ई0

2..

(237)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांकII / निग0 / सतना / 2018 / 01356 जिला–सतना

रामखेलावन सिंह / रामविलाश सिंह

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 53 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	